...यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
...ठासीन अधिकारी:—राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 131 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:— 88 / 53 आरटीए

1. गुरबक्त सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. केवल सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. कर्म सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. गुरुबख्तयार कौर पत्नी करनैल सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. शरणदीप कौर पुत्री करनैल सिंह जाति जटसिख नि. संतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. सर्जेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. जरनैल सिंह पुत्र जगराज सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तह.संगरिया
5. तारा सिंह पुत्र शेरसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. लाभ सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. मेला पुत्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. सन्दुल सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र बरयाम सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तह.संगरिया
9. फौजी सिंह पुत्र करतार सिंह पुत्र बरयाम सिंह जाति जटसिख नि. संतपुरा तह.संगरिया
10. कलवंत सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
11. पप्पू सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
12. महेन्द्र सिंह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
13. गुरमेल सिंह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
14. लाभ सिंह पुत्र वीर सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
15. राजबाला पत्नी भूप सिंह जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
16. मनदीप कौर पुत्री बाघ सिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया तह. हनुमानगढ़
17. मनजीत कौर पुत्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी जोड़किया तह. हनुमानगढ़
18. सरदुल सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
19. गुरमेल सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
20. महेन्द्र सिंह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
21. गुरमेल सिंह पुत्र ज़गर सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
22. हरकेश पत्नी गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
23. पालकौर जोजा गुरदास सिह (विलोपित)
24. भाग सिंह पुत्र वजीर सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
25. श्रीमान तहसीलदार राजस्व महोदय संगरिया जिला हनुमानगढ़
26. श्रीमान शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी. बैंक शाखा दीनगढ़ तहसील संगरिया ...
27. हरमेल सिंह पुत्र बलवीर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह ... नि.संतपुरा ...
28. हरदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
29. छिन्द्र कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
30. बिन्द्र कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति जटसिख नि. संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
31. गुरजिन्द्र कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
32. गुरजीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
33. किकर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
34. गुरमीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति जटसिख नि.संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:11:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपस्थित

1 श्री सरजोधन सिंह खोसा वकील वादीगण
2– श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू – वकील प्रति स 22

निर्णय   दिनांक :–

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53.88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार कि वादीगण के नाम से सांझे खाते में तहसील संगरिया चक 1 ए.एम.पी.बी. खाता सं. 55/51 व 1 ए.एम.पी.बी. खाता स. 19/12 व 3 ए.एम.पी. खाता सं 36/39 व 4 ए.एम.पी. खाता सं. 20/12 व 4 ए.एम.पी. खाता 85/66 व 4 ए.एम.पी. खाता स. 28/18 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण रिकार्ड खातेदार काश्तकार है उक्त चकों की जमाबंदीयां संलग्न वाद पत्र है। कुल आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है–

चक 1 ए.एम.पी.बी. खाता स. 55/51 संवत 2070–73 कुल 1.012
चक 1 ए.एम.पी.बी. खाता स. 19/12 संवत 2070–73 कुल 1.518
चक 3 ए.एम.पी. खाता स. 36/39 संवत 2068–71 कुल 1.493
चक 4 ए.एम.पी. खाता स. 20/12 संवत 2071–74 कुल 1.265
चक 4 ए.एम.पी. खाता स. 85/66 संवत 2071–74 कुल 2.026
चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 27/17 संवत 2071–74 कुल 1.911
चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 28/18 संवत 2071–74 कुल 0.390 वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित आराजी खुदकाश्त पैतृक आराजी है। जिसका वादीगण ने आपस में उक्त आराजी का अपने परिवार जनो व समस्त हिस्सेदारान के साथ काश्त की सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुए तथा अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी भूमि के मुताबिक घरू बंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक मुताबिक वादीगण के हक व हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्नानुसार आराजी प्राप्त हुई है–

अ– गुरदव सिंह
चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 27/17 प.नं. 170/139 मु.नं. 3 किला नं. 2/0.101
चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 28/18 प.नं. 170/139 मु.नं. 3 किला नं. 3/0.228
चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 85/66 प.नं. 170/139 मु.नं. 3 किला नं. 4/0.228,7/0.253
चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 20/12 प.नं. 170/139 मु.नं. 3 किला 8,9,12,13/0.253है. प्र
चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 85/66 प.नं. 171/139 मु.नं. 4 किला नं. 1,4,6/0.228है. प्र. 5/0.202

ब– केवल सिंह
चक 1 ए.एम.पी. बी. खाता सं. 55/51 प.नं. 170/138 मु.नं. 59 किला नं. 23,24,25/0.215
चक 1 ए.एम.पी.बी खाता सं0 19/12 प.नं. 170/138 मु.नं. 59 किला नं. 11,12,19,20/0.253है. प्र 21,22/0.215है.प्र.
4 ए.एम.पी. खाता सं. 27/17 प.नं. 168/139 मु.नं. 1 किला नं. 15/0.013 [illegible]
4 ए.एम.पी. खाता सं. 27/17 प.नं. 169/139 मु.नं. 2 [illegible]
4 ए.एम.पी. खाता स. 28/18 प.नं. 169/139 मु.नं. 2 [illegible] 10/0.126
4 ए.एम.पी. खाता सं. 27/17 प.नं. 170/139 मु.नं. 3 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:11:50 IST
Reason: SelfAttested

स– कर्न सिंह
चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 20/12 प.नं. 170/139 मु.नं. 3 किला नं. 11/0.253
चक 4 ए.एम.पी.खा. स. 27/17 प.नं. 70/139 मु.नं. 3 किला नं. 1/0.228, 2/0.063, 10/0.253
चक 4 ए.एम.पी. खाता स. 27/17 प.नं. 169/139 मु.नं. 2 किला नं. 15,16,25/0.253है.प्र.

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

3 ए.एम.पी. खाता सं. 36/39 प.नं. 168/139 मु.नं. 78 किला नं. 5/0.190, 6/0.177, 7/0 14/0.202, 17/0.152, 18/0.253
सं. 36/39 प.नं. 169/139 मु.नं. 79 किला नं. 1/0.076

[illegible] गण के नाम चक 1 ए.एम.पी बी खाता सं. 19/12 व चक 1 ए.एम.पी बी खाता सं. 55/51 में [illegible] सं. 1 व 3 के नाम की व वादीगण के पिता करनैल सिंह के नाम की समस्त हिस्सा की आराजी में से नाम विलोपित कर वादी सं. 2 के नाम आराजी दर्ज की जावे व चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 36/39 में दर्ज वादी सं. 1 व 2 के नाम की समस्त हिस्सा की आराजी में नाम विलोपित कर समस्त हिस्सा की आराजी वादी सं. 3 के नाम दर्ज की जावे। चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 20/12 में वादीगण के मृतक पिता करनैल सिंह के नाम की समस्त हिस्सा की आराजी में नाम कलमजन कर वादी सं. 1 के नाम दर्ज की जावे और वादी सं. 2 के नाम की चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 20/12 में 0.632 में से 0.253है. कम कर वादी सं. 3 के नाम दर्ज व इसी चक के खाता की शेष आराजी वादी सं. 1 के नाम दर्ज की जावे व वादी सं. 2 का सही नाम केवल सिंह है चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 85/86 में वादी सं. 2 के नाम की समस्त हिस्सा में नाम विलोपित कर वादी सं. 1 के नाम दर्ज किए जावे। 4 ए.एम.पी. खाता सं. 85/66 के राजस्व रिकार्ड में सहवन रिकार्ड में गुरमेल सिंह पुत्र करनैल सिंह दर्ज हो गया जिसको दुरूस्त कर केवल सिंह पुत्र करनैल सिंह किया जावे। वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित वादीगण के कब्जाकाश्त की आराजी पर घरू विभाजन के रोज से निरन्तर व लगातार शांति पूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया है कि वादीगण के कब्जा काश्त की आराजी का खाता अलग कायम करवाकर रकमराज अलग कायम करवा देवे तो आज कल कहकर टालमटोल करते रहे गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 वादीगण की सगी बहिने है। जिन्होंने अपने समस्त हिस्सा की आराजी का परित्याग वादीगण के पक्ष में अपनी स्वेच्छा से कर दिया है। प्रतिवादी सं. 1 ता 24 सहखातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 35 भू-धारक होने की वजह से पक्षकार बनाया है प्रतिवादी सं. 26 के पास सहखातेदारों की आराजी रहन होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है। दावा बाबत खाता घोषणात्मक हक का है जो उचित न्यायशुल्क पर पेश है, अंदर मियाद है न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमावे कि वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित आराजी मुताबिक वादी का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग कायम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे एवं चक 1 ए.एम.पी. बी खाता सं. 19/12 व चक 1 ए.एम.पी. बी खाता सं. 55/51 में वादी सं. 1 व 3 के नाम की व वादीगण के पिता करनैल सिंह के नाम की समस्त हिस्सा की आराजी में से नाम विलोपित कर वादी सं. 2 के नाम आराजी दर्ज की जावे व चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 36/39 में दर्ज वादी सं. 1 व 2 के नाम की समस्त हिस्सा की आराजी में नाम विलोपित कर समस्त हिस्सा की आराजी वादी सं. 3 के नाम दर्ज की जावे। चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 20/12 में वादीगण के मृतक पिता करनैल सिंह के नाम की समस्त हिस्सा की आराजी के [illegible] कलमजन कर वादी सं. 1 के नाम दर्ज की जावे और वादी सं. 2 के नाम की चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 20/12 [illegible] 0.253है. कम कर वादी सं. 3 के नाम दर्ज व इसी चक के खाता [illegible] सं. [illegible] के नाम दर्ज की जावे। चक 4 ए.एम.पी. खाता सं. 85/86 में वादी सं. 2 के नाम की सम[illegible] हिस्सा में नाम विलोपित कर वादी सं. 1 के नाम दर्ज किए जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:11:50 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट [illegible] गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 21,23, 24,26 ता 34 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति.सं. 22 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

...सिंह ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल ...ली किया गया। वकील वादीगण ने फार्म नं 3 के साथ जमाबन्दी चक 1 एएमपी बी खाता ... 20,55/51, खाता संख्या 19/12 चक 3 एएमपी खाता संख्या 36/39 एवं चक 4 एएमपी ...ता संख्या 20/12, 85/66,, 27/17, 28/18, की प्रमाणित प्रति एवं ओबीसी बैंक दीनगढ का ...बाकी चुकता प्रमाण पत्र एवं दस्तबरदारी बहक गुरदत सिंह, केवल सिंह, कर्मसिंह पि करनैल फोटो ...प्रति पेश की गई है। जो शामिल पत्रावली है। तथा प्रश्नगत भूमि के संबंध में तहसीलदार राजस्व ...संगरिया से कब्जा काश्त रिपोर्ट चाही गई। उप तहसीलदार भू.अ. ढाबा ने अपने पत्रांक प्रा ...डिकी/भू.अ./024/88 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 21,23, 24,26 ता 34 बावजूद सूचना उपस्थित नही है एवं प्रतिवादी संख्या 22 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर भी कोई आपत्ति नही की है तथा प्रकरण में कोई विवाद नही है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र मुताबिक उप तहसीलदार भू.अ. ढाबा से प्राप्त कब्जा काश्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 3 एएमपी खाता संख्या 60/0, चक 1 एएमपी–बी खाता संख्या 65/21, 27/12, एवं चक 4 एएमपी खाता संख्या 32/12, 31/28, 93/66 एवं उप तहसीलदार भू.अ. ढाबा की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी में सह काश्तकार है। प्रश्नगत आराजी पर पक्षकारों का अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काश्त करते चले आ रहे है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद सामने नही आया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 21,23, 24,26 ता 34 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये एवं प्रतिवादी संख्या 22 ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए अपनी सहमति दी है। वाद पत्र में कोई विरोध सामने नही आया है। उप तहसीलदार भू.अ. ढाबा से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र उप तहसीलदार भू.अ. ढाबा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:–

चक 3 एएमपी के खाता सं. 60/0 में कुल रकबा 1.493 है. मौके पर कब्जाकाश्त [illegible] किला नं

1. कर्मसिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख सा. संतपुरा [illegible] 5/3/0.038 [illegible] गै.मु. रास्ता 5/1/0.190है. बारानी प्रथम 5/2/0.025है. गै.मु. रास्ता 6/1/0.177है. नहरी 6/2/0.038है. गै.मु. रास्ता 7/0.253है. नहरी 14/1/0.202है. नहरी 14/2/0.038है. गै.मु. रास्ता 15/0.0130है. गै.मु. रास्ता 17/1/0.152है. नहरी 17/2/0.038है. गै.मु. रास्ता 18/0.253है. नहरी प.नं. 169/139 मु.नं. 79 किला नं. 1/0.076है. बारानी प्रथम कुल रकबा 1.493है. नहरी/बारानी प्रथम मय गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:11:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

1 एएमपी बी के खाता सं 65 / 21 मे कुल रकबा 1.012है व खाता सं 27 / 12 मे कुल 1
... चक 4 एएमपी के खाता सं 32 / 12 मे कुल रकबा 1.265है व खाता सं 30 / 17 मे कुल
... 1.811है व खाता सं 31 / 28 मे कुल रकबा 0.390है व खाता सं 93 / 66 मे कुल रकबा
...है मे मौके पर कब्जा काश्त की भूमि

केवल सिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख सा संतपुरा चक 1 एएमपी बी के प.नं 170 / 138 मु.नं 58 किला नं 11,12,19 ता 25 / 0.253है. प्र चक 4 एएमपी के प.नं 168 / 139 मु.नं 1 किला नं 15 / 0.013है. 16 / 0.051है प.नं 169 / 139 मु.नं 2 किला नं 10 / 0.126है. 11 / 0.240है. 20 / 1 / 0.089है. 20 / 2 / 0.011है प.नं 170 / 139 मु.नं 3 किला नं 2 / 1 / 0.063है. 2 / 2 / 0.007है. गै.मु खाता कुल रकबा 2.877है नहरी मय गै.मु

2 कर्मसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख सा. संतपुरा चक 4 एएमपी के प.नं 169 / 139 मु.नं. 2 किला नं. 15,16 ता 25 / 0.253है. प्र प.नं. 170 / 139 मु.नं 3 किला नं 1,10,11 / 0.253है प्र 2 / 1 / 0.063है. उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में किला नं. 1 से चिपता 2 / 2 / 0.007है. गै.मु. खाता कुल रकबा 1.588है. नहरी मय गै.मु खाता

3 गुरदत्तसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख सा. संतपुरा के चक 4 एएमपी के प.नं 170 / 139 मु.नं. 3 किला नं. 2 / 1 / 0.102है. उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा में किला नं. 3 से चिपता 2 / 2 / 0.011है गै.मु. खाता 3,4,7,8,9,12,13 / 0.253है. प्र प.नं. 171 / 139 मु.नं. 4 किला नं. 1,4,5,6 / 0.253है. प्र कुल रकबा 2.896है. नहरी मय गै.मु

4 हरप्रीतपालकौर पत्नी गुरदासासिंह जाति जटसिख सा. संतपुरा के चक 1 एएमपी बी के प.नं. 170 / 138 मु.नं. 58 किला नं. 24 / 0.253है. चक 4 एएमपी के प.नं. 2 / 1 / 0.228है. 2 / 2 / 0.025है. गै.मु. खाता 3 / 1 / 0.228है. 3 / 2 / 0.025है. गै.मु खाता कुल रकबा 0.759है. नहरी मय गै.मु.

अतः उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र कमांक प्रा.डिक्री / भू.अ. / 24 / 88 दिनांक 23.04.2024 से प्राप्त रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.30 16:11:50 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी संगरिया